

20.11.24

पत्रावली चेश हुई। वादी अधिवक्ता के मुनियर अधिवक्ता
अस्थिते इत्यतथा पत्रावली पर मोर प्रेक अंकित बिदा व बाद
चलान नहीं चाहते हैं कथन किया गया। प्रकण विद्व
सरकार वादी द्वारा प्रस्तुत होकर साक्ष्य पत्रिका में निरूप
है।

अतः वादी का बाद अदम पैरवी में खारिज किया जात
है निर्णय से इजलास सुनाया गया। प्रकण कैपल शुक्र
होकर नम्बर से कम हो।



(रिया डनी)

11/15